न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 317/18 **निर्णय दिनांकः 28.01.2019**

1. रणवीर पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल चक 629–750 आरडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. पीथाराम पुत्र श्री मेवाराम जाति जाट निवासी ऊँटवालिया हाल हणुतपुरा तहसील व जिला चूरू।
2. उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, छत्तरगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29–11–2016 व
आवंटन आदेश दिनांक 28–02–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़।

उपस्थितिः–

1. श्री रामवतार बूरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय पारिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 29–11–2016 व आवंटन आदेश दिनांक 28–02–2017 जिसके द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के धारण में चक 629—750 तहसील छत्तरगढ़ में मुरब्बा नम्बर 30/62 के किला नम्बर 1/0.03, 2, 3/2, 6/1, 14 ता 17/4 एवं मुरब्बा नम्बर 30/63 के किला नम्बर 1 ता 4/4 में 4 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 11 बीघा 3 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि स्थिति है। उक्त भूमि अपीलांट की वर्ष 2000 से खरीदशुदा तथा खातेदारी भूमि है। इस कारण अपीलांट चक 629—750 आरडी का टेन्यूर टिनेन्ट (Tenure Tenant) होने के कारण वादगत् भूमि के मिडियम पेच आवंटन का अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की गलत व्याख्या करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा जिस मुख्त्यार आम के आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है उक्त मुख्त्यारआम की अवधि मात्र दो वर्ष की थी। उक्त मुख्त्यारआम दिनांक 16—03—2001 को पंजीबद्व किया गया था तथा मुख्त्यारआम की अवधि दो वर्ष की निर्धारित होने पर उक्त मुख्त्यारआम वर्ष 2003 में ही स्वतः ही निरस्त/अवैध (Invalid) हो चुका था। ऐसी स्थिति में एक निरस्त मुख्त्यारआम को आधार बनाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व पीठासीन

अधिकारी द्वारा मिलीभगत करते हुए किया गया स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जबकि उक्त निरस्त मुख्त्यारआम के आधार पर न तो भूमि आवंटित की जा सकती है ना ही भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में किये गये आवंटन की भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने पर विनियम कमेटी द्वारा दिनांक 25—04—2005 को अन्यत्र भूमि दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के करीब 11 वर्ष उपरान्त किस दिशा—निर्देश के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्रावली को पेशी पर लेते हुए आवंटन किया गया है इसका कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है तथा ना ही इस तथ्य की जॉच की गई है कि क्या वास्तव में वादगत् भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? ना ही अदालत मातहत द्वारा उक्त तथाकथित मुख्त्यारआम की ही कोई जॉच की गई है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ही मुख्त्यारआम की जॉच कर ली जाती तो यह तथ्य स्वमेव अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाता कि उक्त मुख्त्यारआम की अवधि मात्र दो वर्ष की थी तथा उक्त मुख्त्यारआम वर्ष 2003 में स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मूल आवेदक की भी कोई जॉच नहीं की गई है ना ही कोई सत्यापन ही करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 06—10—2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन का पात्र धोषित करते हुए विनिमय समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25—04—2005 की पालना में कार्यवाही हेतु पत्रावल वास्ते निर्णय दिनांक 29—11—2016 को आयोजित आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में पेश करने हेतु निर्धारित की गई व दिनांक 29—11—2016 को अभिलिखित किया गया कि पत्रावली आज दिनांक को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई। उक्त आवंटन सलाहकार समिति में कौन—कौन सदस्य उपस्थित आये उनके किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर व टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए अभिलिखित किया गया है कि पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। अदालत मातहत की उक्त तमाम कार्यवाही

मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने व वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने के उद्वेश्य मात्र से की गई कार्यवाही है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण की भूमि चिपते भूमि है ऐसीस्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की भी बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सर्वप्रथम कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण प्रस्तुत किये गये है, वे संतोषजनक व युक्तियुक्त कारण नहीं है।

जिसके आधार पर अपीलांट को मियांद के बिन्दु पर कोई राहत प्रदान की जा सकती हो। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

तत्पश्चात् विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि का वे मिडियम पेच आवंटन का अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, जिससे वादगत् भूमि के आवंटन का कोई अधिकार अपीलांट को प्राप्त होता हो। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र कयासों के आधार पर प्रस्तुत अपील है। जिससे अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन के कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया गया कि चूंकि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के धारण के मुरब्बें में ही निहित थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सर्वप्रथम दिनांक 19—07—1984 को चक 3 आर. एम. के मुरब्बा नम्बर 131/32 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 131/40 की 16 बीघा कुल 3 बीघा कमाण्ड व 38 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु कार्यवाही किये जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 131/32 की 25 बीघा भूमि वन विभाग को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की जा सकती।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटित भूमि दोहरे आवंटन की श्रेणी में होने के कारण अदालत मातहत के समक्ष तबादलें में अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 25—04—2005 को विनिमय कमेटी द्वारा आवंटित भूमि के विनिमय में आवंटी की पूर्व आवंटन के समय की पात्रता की जॉच करते हुए अन्य भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विनिमय कमेटी द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र विनिमय कमेटी के निर्देशानुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र धोषित किये जाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अपीलांट का वादगत् भूमि के आवंटन का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 556, आरआरडी 2011 पेज 786, आरआरडी 2008 पेज 756, आरआरडी 1964 पेज 242, आरआरडी 1982 पेज 202 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 629—750 आरडी के मुरब्बा नम्बर 30/62 में 12 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन विनियम में किया गया है। जिससे

व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) जहॉ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मियांद के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मियांद के बिन्दु पर प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है।

(3) प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 629—750 तहसील छत्तरगढ़ में मुरब्बा नम्बर 30/62 के किला नम्बर 1/0.03, 2, 3/2, 6/1, 14 ता 17/4 एवं मुरब्बा नम्बर 30/63 के किला नम्बर 1 ता 4/4 में 4 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 11 बीघा 3 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि स्थिति है। उक्त भूमि अपीलांट की वर्ष 2000 से खरीदशुदा तथा खातेदारी भूमि है। अतः अपीलांट चक 629—750 आरडी का Tenure Tenant होने के कारण वादगत् भूमि के मिडियम पेच आवंटन का अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की गलत व्याख्या करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

इस संबंध में मिडियम पेच आवंटन नियमों का भी अवलोकन किया गया। मिडियम पेच आवंटन नियम में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि **" Medium patch" means a piece of land measuring more than 5 bighas of irrigated land and 10 bighas of unirrigated land but not more than 10 bighas of irrigated land and 20 bighas of unirrigated land.**

प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आदेश जैर अपील के माध्यम से 12 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जोकि मिडियम पेच आवंटन नियमों के तहत मिडियम पेच आवंटन की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि मिडियम पेच आवंटन के तहत मात्र 10 बीधा कमाण्ड भूमि ही बतौर मिडियम पेच आवंटित की जा सकती है।

(4) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि चूंकि वादगत् भूमि उसके धारण के मुरब्बें में निहित भूमि है ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि के मिडियम पेच आवंटन का अधिकारी है। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे साबित हो कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु उसका कोई अधिकार पैदा होते हो या वादगत् भूमि का अपीलांट अधिकारी हो। केवल मात्र मौखिक कथन/कयास से अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन अथवा/अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि वह वादगत् भूमि के मिडियम पेच आवंटन का अधिकारी है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जाती है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में हमने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किये गये आवंटन की भी जॉच की गई। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सर्वप्रथम चक 3 आर. एम. के मुरब्बा नम्बर 131/32 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 131/40 की 16 बीघा कुल 3 बीघा कमाण्ड व 38 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित की गई थी। उक्त आवंटितभूमि में से मुरब्बा नम्बर 131/32 की 25 बीधा भूमि वन विभाग को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की जा सकती। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटित भूमि दोहरे आवंटन की श्रेणी में होने के कारण अदालत मातहत के समक्ष तबादलें में अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 25—04—2005 को विनिमय कमेटी अन्य भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र विनिमय कमेटी के निर्देशानुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र धोषित किये जाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(6) इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्ति का भी अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जिस मुख्त्यारआम के आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है उक्त मुख्त्यारआम जोकि पत्रावली में उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया। उक्त मुख्त्यारआम के प्रथम पैरा में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि **उक्त मुख्त्यारआम 2 वर्ष तक वैध रहेगा** अर्थात उक्त मुख्त्यारआम की वैधता अवधि मात्र दो वर्ष की थी।

तत्पश्चात् उक्त मुख्त्यारआम किस दिनांक को अभिलिखित किया गया है उसका भी अवलोकन किया गया। **जिसके अवलोकन से पाया गया कि मुख्त्यारआमकर्ता द्वारा दिनांक 16—03—2001 को मुख्त्यारआम निष्पादित करते हुए दिनांक 16—03—2001 को उपपंजीयक छत्तरगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्व करवाया गया था** तथा तत्समय उक्त मुख्त्यारआम की अवधि दो वर्ष की निर्धारित थी।

ऐसी स्थिति में जब यह निर्विवाद था कि उक्त तथाकथित **मुख्त्यारआम जोकि दिनांक 16—03—2001 को निष्पादित किया गया था, की अवधि मात्र वर्ष तक वैध होने पर उक्त मुख्त्यारआम वर्ष 2003 में ही स्वतः ही निरस्त/अवैध (Invalid) हो चुका था।** ऐसी स्थिति में एक निरस्त मुख्त्यारआम को आधार बनाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अदालत मातहत द्वारा किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच करने का कतई प्रयास नहीं किया गया कि क्या उक्त मुख्त्यारआम जिसके आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, उक्त मुख्त्यारआम वास्तव में आवंटन दिनांक को वैध है भी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये ही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया प्रतीत होता है।यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ही मुख्त्यारआम की जॉच कर ली जाती तो यह तथ्य स्वमेव अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाता कि उक्त मुख्त्यारआम की अवधि मात्र दो वर्ष की थी तथा उक्त मुख्त्यारआम वर्ष 2003 में स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मूल आवेदक की भी कोई जॉच नहीं की गई है ना ही कोई सत्यापन ही करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 06–10–2016 को विनिमय समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–04–2005 की पालना में कार्यवाही हेतु दिनांक 29–11–2016 को आयोजित आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में पेश करने हेतु निर्धारित की गई व दिनांक 29–11–2016 को अभिलिखित किया गया कि पत्रावली आज दिनांक को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई। आवंटन सलाहकार समिति में कौन–कौन सदस्य उपस्थित आये उनके किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर व टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। ना ही अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर 11 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बाबत् कोई टिप्पणी अंकित की गई है।

प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजरअंदाल करते हुए मात्र समस्त कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने व वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने के उद्वेश्य मात्र से की गई कार्यवाही है।

–आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन अनियमितता बरतते हुए किया गया है– चाहे उक्त आवंटन कितना भी व्यवहारिक व सदेच्छा से किया गया हो। प्रस्तुत मामलें में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के

अनुसरण में अदालत मातहत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित व दुराभिसंधि को प्रकट करता है।

(8) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसे दस्तावेज को आधार मानकर आवंटन किया गया है जोकि वर्ष 2003 में ही अवैध/निरस्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आदेश जैर अपील के माध्यम से किये गये आवंटन की पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं होगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जाने के साथ—साथ रेस्पोडेन्ट संख्या को वादगत् भूमि का किया गया आवंटन दिनांक 29—11—2016 व आवंटन आदेश दिनांक 28—02—2017 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर